# हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण: एक विकासक्रम

रोहित कुमार ( शोधार्थी )

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर , मध्य प्रदेश

प्रयोजन मूलक हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली का अभिन्न अंग है हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली में वाणिज्य , प्रशासन, विज्ञान, ज्ञान और लोकसंसार की भाषा बनने का गौरव प्रदान किया। विभिन्न विज्ञान, विधि, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, आदि विषयों ( जो अभिव्यक्ति प्रधान सृजनात्मक साहित्य में नहीं आते तथा जिनमें सूचना या विचारों आदि की प्रधानता होती है )

पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गईं हों, जैसे अंग्रेजी शब्द डेकोइटी। हिन्दी में उसके लिए डकैती शब्द है । भारत में पारिभाषिक शब्दावली की परंपरा बहुत प्राचीन है । अंग्रेजों के आगमन से पूर्व व्याकरण, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष , नाट्यशास्त्र, योग, न्याय, मीमांसा, दर्शन आदि विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग प्रवचन की भारतीय परंपरा काफी समृद्ध रही है। पारिभाषिक शब्दों को संकलित करने और उन्हें परिभाषित कर अर्थ निर्धारण की शुरुआत वैदिक युग में ही हो गई थी । स्वाभाविक है कि उस समय जो विज्ञान विषय ज्ञान उपलब्ध था , उसी की ही पारिभाषिक शब्दावली विकसित हुई होगी। वैदिक साहित्य में पारिभाषिक शब्दों की उपलब्धता के अनुक्रम में निरुक्तोत्तर पारिभाषिक कोश तथा विशेष तौर पर ' निघंटु` उल्लेखनीय है।

माना जाता है कि हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दावली का विधिवत निर्माण कार्य शिवाजी महाराज के शासन काल (1664-1680)में आरंभ हो गया था । यह परंपरा शिवाजी महाराज की प्रेरणा से रघुनाथ पंत द्वारा 1707 में तैयार किए गए ' राज कोश' से शुरू होती है। उन्होंने प्रशासन , रक्षा एवम् खाद्य सामग्री संबंधी पन्द्रह सौ शब्दों का एक कोश तैयार किया और इसे विषयवार दस भागों में बांटा गया। इसके अलावा , शिवाजी, महाराज ने मराठी में ' राज्य व्यवहार कोश तथा तथा ' मराठी शब्दों का विश्वकोश ' भी तैयार करवाया था । मध्ययुग में कर्णपूर, दलपतिराय आदि ने भी कुछ कोशों की रचना की थी।

भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले रही , लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत 19 वीं शताब्दी के आरंभ से हुई ।

1950 में जब हिन्दी भारतीय संविधान के उपबन्धों द्वारा राजभाषा बनी तब विभिन्न विषयों पर हिन्दी में साहित्य रचने की आवश्यकता महसूस की ताकि इसे शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जा सके।

इससे विभिन्न उपविषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दों को उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया । चूंकि हिंदी 1950 से पहले ऐसे विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त नहीं हो रही था

सन 1949 में हिंदी की राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ । और हिन्दी भाषा सरकारी कामकाज की भाषा बन गई । सन 1947 के पहले सभी सरकारी कार्य अंग्रेजी भाषा में किए जाते थे अंग्रेजी से पहले भारत की राजभाषा फारसी थी। भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो भारतीय संविधान के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए लिपि देवनागरी हिन्दी भाषा को संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब से भारत में राजभाषा हिन्दी को उत्तरदायित्व दिया गया । तब से हिन्दी भाषा साहित्य से अलग रोजगार, अनुवाद,वाणिज्य,ज्ञान , विज्ञान,जनसंचार,प्रशासन,न्याय आदि की भाषा बन गई। व्यावहारिक , कार्यालय, कामकाज भाषा के रूप में हिन्दी को अलग नई पहचान मिली । अथक प्रयासों से राजभाषा हिन्दी सभी क्षेत्रों और पक्षों में सफल होती जा रही है ।

प्रशासन शब्द कोश में लिखा **"पारिभाषिक शब्द का एक सुनिश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है। किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए ही शब्द होता है , विषय विशेष या संदर्भ में उससे हटकर उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता।"**

डॉ0 भोलानाथ तिवारी ने लिखा, **"एक शब्द विशेष को विशिष्ट ज्ञान शाखा में एक निश्चित भाव तथा अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है तब उसे पारिभाषिक शब्द कहा जाता है।"**

डॉ0 विनोद गोदरे ने लिखा,," **किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है । यह विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता है । इसके अलावा उक्त संदर्भ में उसके लिए न तो किसी प्रकार के अर्थभेद की गुंजाइश होती है और न किसी प्रकार के निश्चय का ही वह वाहक होता है । वह तो बस मीन की आंख के लक्ष्य का बेधी तथा साधक होता है"।**

डॉ0 शशि शर्मा ने लिखा,"पारिभाषिक शब्द का सीधा सरल अर्थ है किसी ज्ञान विज्ञान की भाषा जिसका संप्रेषण ज्ञान विज्ञान के पारिभाषिक अनुशासन के अनुकूल सुनिर्धारित और सटीक होता है इसीलिए पारिभाषिक शब्द के इस्तेमाल के समय विकल्प की गुंजाइश बहुत कम होती है"।

आधुनिक विकासशील भाषा के लिए पारिभाषिक शब्दावली की रचना करना एक सुव्यवस्थित कार्य है । इसकी रचना कई व्यक्तियों से न करवाकर किसी एक संस्था द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि एक ही संकल्पना (शब्दावली) के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक शब्दों का सुझाव दिया जाएगा । अतः इस कार्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार ( शिक्षा मंत्रालय ) द्वारा लिया गया है । प्रारंभ में सन 1950 में मंत्रालय ने वैज्ञानिक शब्दावली के लिए एक बोर्ड का है गठन किया था, जबकि केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना वैज्ञानिक शब्दावली के लिए एक बोर्ड का गठन किया था , जबकि केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई और इसने इस कार्य का उत्तरदायित्व ले लिया । सन 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के गठन से शब्द निर्माण का उत्तरदायित्व इस आयोग को सौंपा गया।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए केवल केंद्रीकृत संस्था की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए सुस्पष्ट नीति का होना भी आवश्यक है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में सर्वप्रथम नीति बनाई गई , जो हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए निर्देशात्मक है ।

## पारिभाषिक शब्दावली : निर्माण प्रक्रिया :

पारिभाषिक शब्द निर्माण के पीछे विभिन्न धाराओं का योगदान रहा है , इसमें प्रमुख हैं _

1 राष्ट्रीयतावादी

2 अंतर राष्ट्रीयतावादी

3 लोकवादी

4 समन्वयवादी।

1 **राष्ट्रीयतावादी**

इस धारा को हम सभी लोग पुनरूत्थानवादी नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग इसे संस्कृतवादी और शुद्धतावादी भी कहते हैं। इस धारा का आधार संस्कृत भाषा है , नए पारिभाषिक शब्द के लिए इस धारा के समर्थक विद्वानों ने संस्कृत के समास उपसर्ग और प्रत्ययों पद्धति के आधार पर शब्द बनाए हैं

जैसे –

दान : उपदान, अनुदान ।

ग्रहण : परिग्रहण,अधिग्रहण।

अंकन : सीमांकन, रेखांकन।

कथन : प्राक्कथन, अभिकथन।

कलन: परिकलन, संकलन।

इस पुनरूत्थानवादी धारा के प्रमुख विद्वान हैं सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉ० रघुवीर।

इस वर्ग के विद्वान अंग्रेजी शब्दों के प्रतिशब्दों के लिए संस्कृत के प्रत्ययों और उपसर्गों , धातुओं का सहारा लेते हैं । और इस कार्य के लिए प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं , लेकिन हिंदी में चलन विदेशी शब्द तो क्या तद्भव और देशज शब्दों को भी यह संप्रदाय ग्रहण नहीं करना चाहता और संस्कृत के आधार पर शब्द का निर्माण करता है ।

जैसे – पोस्ट ऑफिस के लिए – प्रेक्षागृह, स्टैंप के लिए – मुद्रांक, कंपाउंडर के लिए – औषधयोजक , आदि ।

इनका प्रयोग कठिन तथा दुर्बोध लगता है ।

2 – **अंतर राष्ट्रीयतावादी –**

इस धारा को आदानवादी ,स्वीकारवादी और ग्रहणवादी अनेक नामों से पुकारा जाता है ।

डॉ. शांति स्वरूप भटनागर , डॉ. जे. सी. घोष, डॉ. बीरबल और डॉ. सी. लूथरा आदि इस वर्ग के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। इन सभी का अभिमत है कि

अंतर राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में जैसा का तैसे स्वीकार कर लेना चाहिए । इससे प्राचीन साहित्य और शब्द निर्माण के लिए शब्दों को खोजने का काम नहीं करना पड़ेगा और इन सभी शब्दों के प्रयोग करने से हम सभी लोग अंतर राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े रहेंगे और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को सुविधा होगी।

इस विशेषता के पक्ष में वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं बहुशिक्षित लोग हैं। अंतर राष्ट्रीय शब्दों को या तो उसी रूप में या प्रत्यय , उपसर्ग का योग करके या समास करके ध्वनि परिवर्तन करके ग्रहण करने के पक्ष में हैं।

1. वे सभी शब्दों को अंतर राष्ट्रीय शब्द कहते हैं जिन शब्दों को हूबहू जैसा का तैसे ग्रहण कर लिया जाता है ।

जैसे- रडार , किलोग्राम, टन, मीटर, ऑक्सीजन, फोकस, रायलटी परमिट, हाइड्रोजन, हेक्टर।

2.प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर या समास करके जैसे - रजिस्ट्रीकृत, अभिकर्ता, अपीलार्थी ।

3. हिन्दी भाषा के ध्वनि के अनुरूप - कामदी , अकादमी, त्रासदी, तकनीक।

**3.लोकवादी:** - इस वर्ग को लोक प्रचलन शब्दों के नियम आधार पर पारिभाषिक शब्दों को बनाने के साथ हैं।

पावती, घुसपैठिया, जच्चाघर मसौदा , बकायाघर कचहरी, चपरासी आदि हिंदी की पूर्ण शब्दावली इस श्रेणी की बनाई जा सके , तो बहुत अच्छा हो , किंतु हिन्दी में पूर्ण पारिभाषिक शब्दों का निर्माण लोकसंसार

में लोक प्रचलित शब्दों के आधार पर संभव नहीं होगा। क्योंकि लोक प्रचलित शब्द इस दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

**4.समन्वयवादी:** - इस वर्ग के अनुसार जो पूर्व में लिखित उपर्युक्त तीनों धाराओं का यथोचित समन्वय ही हिंदी के लिए ही नहीं , सभी भारतीय भाषाओं के लिए सर्वोत्तम मार्ग हो सकता है । इनके अनुसार हिन्दी भाषा की

प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत – अंग्रेजी तथा अंतर राष्ट्रीय भाषाओं और प्रांतीय भाषाओं के लोक प्रचलित शब्दों को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए ।

यदि वे शब्द ध्वनि की दृष्टि से हमारी ध्वनि व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं , तो उन्हें अनुकूलित कर लेना चाहिए । साथ ही अनिवार्य होने पर अपनी भाषा के प्रत्यय उपसर्ग और शब्द एवं धातु के आधार पर नए शब्दों का निर्माण भी किया जाना चाहिए।

| राष्ट्रीयतावादी। | अंतर राष्ट्रीयतावादी | लोकवादी |
|---|---|---|
| ( संस्कृत ) | ( अंग्रेजी ) | ( उर्दू फारसी मिश्रित) |
| 1. वेतन। | सेलरी। | तनख्वाह |
| 2. शेष। | बैलेंस। | बकाया |
| 3. विद्यालय। | स्कूल। | मदरसा |
| 4. भवन। | बिल्डिंग। | इमारत |
| 5. आय। | इनकम। | आमदनी |

| | | |
|---|---|---|
| 6. न्यायालय। | कोर्ट। | कचहरी |
| 7. निर्वाचन। | इलेक्शन। | चुनाव |

**निष्कर्ष :-**

हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली की प्रशासनिक , कामकाजी और व्यवहारिक क्षेत्र में प्रगति हुई है । हिन्दी भाषा को गौरवान्वित करने में पारिभाषिक शब्दावली का अहम योगदान रहा है ।

हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी संस्कृति की मूल शब्दावली में अंतर राष्ट्रीय शब्दावली के घुलमिल गए शब्दों और साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के प्रचलित स्थानीय भाषाओं के शब्दों का भी उपयोग करना होगा ।

इससे पारिभाषिक शब्दों में अधिक भारतीयता एवं अंतर राष्ट्रीयता का संस्पर्श हो जायेगा।

**संदर्भ**

1.: डॉ. अंबादास देशमुख- प्रयोजन मूलक हिन्दी अधुनातन आयाम , शैलजा प्रकाशन, चतुर्थ संस्करण 2018 , पृष्ठ संख्या 166

2.वही पृष्ठ संख्या 168

3.वही पृष्ठ संख्या 169

4. वही पृष्ठ संख्या 170

5. वही पृष्ठ संख्या 171

6. प्रशासन शब्दकोश: म. प्र. का प्रकाशन 1968 पृष्ठ भूमिका से उद्धृत

7. माधव सोनटके - प्रयोजन मूलक हिन्दी, पृष्ठ संख्या 01

8. पारिभाषिक अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली : इग्नू, पृष्ठ संख्या 166

9. डॉ. पूरनचंद्र टंडन,हरीश कुमार सेठी- अनुवाद के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन प्रथम संस्करण 1998 एवं द्वितीय संस्करण 2005 , पृष्ठ संख्या 2001

10. वही पृष्ठ संख्या 205

11.वही पृष्ठ संख्या 206

12.वही पृष्ठ संख्या207